# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
## जिला जोधपुर–ग्रामीण

पीठासीन अधिकारीः– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– **76 / 2024**

**प्रार्थीयाः–** जस्सीदेवी पत्नी स्व. श्री अणदाराम जाति खारड़िया सीरवी निवासी बेरा पीड़ियारो की ढीमड़ी कृषि मण्डी के सामने, बिलाड़ा तहसील बिलाड़ा, जिला जोधपुर राज.।

**बनाम**

**अप्रार्थीः–** राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (भू.अ) तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131**
**राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956**

**उपस्थितिः–**

प्रार्थीया की ओर से श्री राजेन्द्र कुमार पटेल एडवोकेट।

**::निर्णय ::** **दिनांक :–** 26/06/24

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि कस्बा बिलाड़ा चक न. 3 की सरहद में भूमि खसरा सं. 685 रकबा 0.0647 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा सं. 687 रकबा 0.1861 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा सं. 691 रकबा 0.0405 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ, खसरा सं. 697 रकबा 0.1942 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ व खसरा सं. 703 रकबा 0.2832 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ कुल खसरे 5 की कुल भूमि 0.7687 हैक्टेयर स्थित है। जिसका लगान रूपये 0.1300 वार्षिक है। उपरोक्त भूमि की रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार प्रार्थीया स्वयं है। जमाबन्दी खाता सं. 358 संवत् 2076 से 2079 में प्रार्थीया का नाम इन्द्राज है तथा प्रार्थीया खातेदार काश्तकार की हैसियत से उपरोक्त भूमि पर कामिल मालिक काबिज है। प्रार्थीया की खातेदारी की पट्टासुद, कब्जासुद उपरोक्त खसरान की भूमि में से कस्बा बिलाड़ा चक नं. 3 की सरहद में खसरा सं. 703 रकबा 0.2832 हैक्टेयर स्थित है, जिसमें प्रार्थीया का निवास स्थान, कमरे पशुओं के लिये चारा भंडारण एवं आई माता मन्दिर बना हुआ है। अन्य भूमि पर प्रार्थीया काश्तकर अपनी रोजी रोटी से अपना व अपने परिवार का भरण पोषण करती है, प्रार्थीया वयोवृद्ध व विधवा औरत है तथा सीनियर सिटीजन है। उपरोक्त भूमि पर प्रार्थीया शान्तिपूर्वक उपयोग व उपभोग कर रही है, जिस पर कोई वाद विवाद विद्यमान नहीं है एवं न ही किसी न्यायालय का स्थगन आदेश है। प्रार्थीया की उक्त कृषि भूमि खसरा सं. 703 के पड़ौस उतर में खसरा सं. 682, दक्षिण में खसरा सं. 711/3, पूरब में खसरा सं. 702. 704, 705 एवं पश्चिम में खसरा सं. 701, 701/2, 701/5, 701/7 व 709/9 की भूमि स्थित है। प्रार्थीया ने अपनी भूमि की जमाबन्दी व खसरा नक्शों की

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

नकल ऑनलाईन ई–मित्र की दुकान से दिनांक 30–03–2022 को निकलवाने पर व पहले से मोमी ट्रेस से तैयार किये गये नक्शा किश्त वार की नकल से मिलान करने पर व कानूनी सलाह लेने पर ज्ञात हुआ कि वर्तमान में ऑनलाईन नक्शे में प्रार्थीया की उक्त खसरे की भूमि 703 की जगह खसरा सं. 702 सहवन से गलत इन्द्राज कर दिया गया। जबकि खसरा सं. 702 की भूमि रास्ते की है, जो खसरा सं. 703 के पूरब दिशा में स्थित है, जिसे प्रार्थीया सही कराने की अधिकारी है। सबूत में जमाबन्दीये, मोमी ट्रेस नक्शा, ऑनलाईन नक्शा एवं कमीश्नर रिपोर्ट के दस्तावेज संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीया अपनी खातेदारी की कब्जासुद तरमीमसुदा की भूमि खसरा सं. 703 रकबा 0.2832 हेक्टेयर की सही तरमीम कराने हेतु हल्का पटवारी बिलाड़ा चक 3 के पास गई तो हल्का पटवारी ने कहा कि आपकी खातेदारी की भूमि खसरा सं. 703 ऑनलाईन नक्शा में कब्जे से भिन्न स्थान पर तरमीम दर्शा दी गई है। फिर हल्का पटवारी ने कहा कि आप तहसीलदार साहब बिलाड़ा के पास जाकर सम्पर्क करे, जिस पर प्रार्थीया ने तहसीलदार साहब के पास जाकर नक्शा ट्रेस में तरमीम दूरस्त करने हेतु आग्रह किया, जिस पर तहसीलदार साहब बिलाड़ा ने प्रार्थीया को बताया कि ऑनलाईन नक्शा में आपकी तरमीम को भूलवश करने से भिन्न स्थान पर दर्शा दी गई है, आप प्रार्थना पत्र पेश कर दो। तब प्रार्थीया ने तहसीलदार साहब बिलाड़ा को दिनांक 01–02–2023 को एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसे श्रीमान् तहसीलदार बिलाड़ा द्वारा प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को आगामी कार्यवाही करने हेतु हल्का पटवारी को भेजा। उसके बाद प्रार्थीया के बार–बार हल्का पटवारी के यहां चक्कर लगाने पर हल्का पटवारी आश्वासन देते रहे कि आपकी भूमि का तरमीम सही हो जायेगा, फिर हल्का पटवारी श्री भंवरलालजी विश्नोई की मृत्यु हो गई। प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तब दुबारा श्रीमान् तहसीलदार साहब बिलाड़ा के पास प्रार्थीया गई तो उन्होने कहा कि आप सक्षम न्यायालय का आदेश लेकर आ जाओ, आपकी भूमि का तरमीम ऑन लाईन नक्शे में पुनः सही दर्ज कर दी जायेगी। कस्बा बिलाड़ा चक न. 3 की सरहद में खसरा सं. 703 रकबा 0.2832 हैक्टेयर का नक्शा ट्रेस में कब्जे से भिन्न आधार पर की गई तरमीम को लेकर भविष्य में विवाद उत्पन्न हो सकता है, अतः कब्जे अनुसार तरमीम संशोधन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अन्यथा प्रार्थीया को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा सकता है। सरकार एवं कानून साधक है बाधक नहीं है। कस्बा बिलाड़ा चक नं. 3 की खसरा सं. 703 रकबा 0.2832 हैक्टेयर भूमि को हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीया को नोटिस या सूचना दिये बिना ही उसकी कब्जे से भिन्न स्थान पर तरमीम दर्शा दी है। मौजूदा मामले में न तो राजस्व रेकर्ड, नक्शा ट्रेस में परिवर्तन करने या न किसी न्यायालय का कोई निर्णय या आदेश है। अतः हल्का पटवारी को बिना कोई निर्णय व आदेश ही अनाधिकृत तौर से कब्जे से भिन्न स्थान पर तरमीम करने का कोई अधिकार नहीं है। अप्रार्थी तहसीलदार साहब बिलाड़ा को राजस्व रेकर्ड, नक्शा ट्रेस में बिलाड़ा चक नं. 3 की सरहद में खसरा सं. 703 रकबा 0.

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

2832 हैक्टेयर की भूमि की तरमीम को ऑनलाईन नक्शा ट्रेस में कब्जे से भिन्न स्थान पर तरमीम को दर्शा दिया, इस आधार पर की गई ऑनलाईन तरमीम को नक्शा में पुनः संशोधित करने का अधिकार माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत है।

अन्त में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि बिलाड़ा चक न. 3 की सरहद में खसरा सं. 703 रकबा 0.2832 हैक्टेयर की नक्शा ट्रेस में खसरा सं. 702 अंकित गलत दर्ज तरमीम को निरस्त करने का आदेश फरमावे तथा कस्बा बिलाड़ा चक नं. 3 खसरा सं. 703 रकबा 0.2832 हैक्टेयर के नक्शा ट्रेस (ऑनलाईन) में कब्जे अनुसार पुनः तरमीम करने का आदेश तहसीलदार साहब बिलाड़ा को फरमाया जाये।

अप्रार्थी की ओर से जवाब मय मौका फर्द एवं नजरी नक्शा पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया कस्बा बिलाड़ा की मूल निवासी है। प्रार्थीया का खेत खसरा नम्बर 703 रकबा 0.2832 हैक्टेयर किस्म चाही अलीफ वर्तमान में जमाबंदी चौसाला 2076 से 2079 के खाता सं. 358 में दर्ज है। जिसकी प्रार्थीया खातेदार है। डीआईएलआरएमपी कार्यक्रम के तहत प्रार्थीया के खेत खसरा 703 की आकृति कब्जे अनुसार नहीं होकर भिन्न स्थिति में कर दी गई है, जो सही नहीं है। प्रार्थीया का कब्जा मोमीट्रेस नक्शा अनुसार है जो सही है। पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत मौका फर्द अनुसार– प्रार्थीया का कब्जा है, उसी अनुसार प्रार्थीया नक्शे की स्थिति (ऑनलाईन) में चाहती है। ऑनलाईन तरमीम ख.न. 703 की प्रार्थीया के कब्जे अनुसार न होकर भिन्न स्थान पर की गई है। जिसकी दुरस्ती किया जाना आवश्यक है। प्रार्थीया प्रमाणित मोमीट्रेस नक्शा व प्रमाणित लट्ठा नक्शा मे ख.न. 703 की अंकित आकृति व मौका, कब्जा सही है। जो जमाबंदी अनुसार भी प्रमाणित होता है। अन्त में जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 703 रकबा 0.2832 की डीआईएलआरएमपी कार्यक्रम के तहत गलत जगह पर दर्ज की गई आकृति को प्रार्थीया के कब्जे अनुसार व प्रमाणित मोमीट्रेस अनुसार दुरस्त किया जाना उचित है। जिसमें भूमिधारी की सहमति है।

प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात, अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब संलग्न मौका फर्द एवं मोमीट्रेस नक्शे की प्रति का अवलोकन किया गया। जिससे विदित होता है कि प्रार्थीया का कब्जा मोमीट्रेस नक्शा अनुसार है, जिसे मौका फर्द में नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। अप्रार्थी भूमिधारी ने स्वीकार किया है कि डीआईएलआरएमपी कार्यक्रम के तहत प्रार्थीया के खेत खसरा 703 की आकृति कब्जे अनुसार नहीं होकर भिन्न स्थिति में कर दी गई है, जो सही नहीं है। जिससे प्रार्थीया के खेत खसरा नम्बर 703 रकबा 0.2832 की तरमीम को दुरस्त कर प्रार्थीया के कब्जे एवं मोमीट्रेस नक्शे अनुसार किया

उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**आदेश**

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश प्रदान किया जाता है कि बिलाड़ा चक नं. 3 की सरहद में खसरा सं. 703 रकबा 0.2832 हैक्टेयर की ऑनलाईन नक्शे में की गई तरमीम को दुरूस्त कर प्रार्थीया के कब्जे एवं मोमीट्रेस नक्शे अनुसार पुनः तरमीम कर पालना न्यायालय के समक्ष पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा जिला जोधपुर ग्रामीण

आदेश आज दिनांक 26/06/24 मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा जिला जोधपुर ग्रामीण